

8 ⁴/₂₅

आज यह पत्रावली पेश हुई वकील
श्री श्री उपस्थित उन्हें सुना गया पत्रावली
एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजों रिकॉर्ड का ब्यवस्था
किया गया मुताबिक प्रार्थना-पत्र प्रार्थी
वकील द्वारा बताया जाता कि आंखानं
224 खण्ड 0.1200 है नं. 182
खण्ड 0.0700, 187 खण्ड 0.0500,
614/54 खण्ड 0.1400 एवं आंखानं-175
खण्ड 0.0800 है वकि यम अर रामपुरी
रहसील मुलाकात का रिकॉर्ड 20/10/1975
का एवं काबिज आरखी है।

अधिकांश वारिष्ठ आजीवन में प्रार्थी
का नाम खेमचन्द गजनी से खेमचन्द के
स्थान पर खेमचन्द खेम उर्फ खेमचन्द
गजनी दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक
नाम खेमचन्द पुत्र तुरली है जबकि प्रार्थी
के दस्तावेजों जैसे राशन कार्ड आचार्य कर्त
मठ द्वारा पहचान पत्र का रिकॉर्ड में प्रार्थी का
वही नाम खेमचन्द पुत्र तुरली दर्ज है।

इसने वरत प्रार्थी एड. ए. मन्व किया
गया पत्रावली कि 20/10/1975 दस्तावेजों
रिकॉर्ड का पुनः मकी मांवी ब्यवस्था किया
इसके अचार्य एड. ए. प्रार्थना-पत्र प्रार्थी
स्वीकार किया जाना कर्तव्य समझते हैं।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार
किया जाता रहसील नु मुलाकात को
आदे वित किया जाता है कि आंखानं
224, 182, 187, 614/54 वकि यम अर रामपुरी
रहसील मुलाकात में प्रार्थी का नाम खेम उर्फ
खेमचन्द पुत्र तुरली के स्थान पर खेमचन्द
पुत्र तुरली एवं आंखानं-175 वकि यम
अर रामपुरी में खेम पुत्र तुरली के स्थान
पर खेमचन्द पुत्र तुरली डूक कर राजल
रिकॉर्ड में दर्ज किया जाये।

पत्रावली फंसल सुमा होकर मन्व से
कम हो वर तकभील जपरा दाखिल दफ्तर हो।

de
(राधेश्याम श्रीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (अरतपुर)